राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांकः प0 9 (   )सम्पर्क / विविध / 771   जयपुर, दिनांकः– 15/1/2019

सम्पादक
समस्त समाचार पत्र
राजस्थान।

विषयः– **वर्ष 2019 की डी.ए.वी.पी. दर प्रस्तुत करने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "राजस्थान विज्ञापन नियम 2001 नियम 7 (3) के तहत यदि कोई समाचार पत्र, निदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार, सूचना एवं जनसम्पर्क प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार (डी.ए.वी.पी.) द्वारा अनुमोदित दरों पर विज्ञापन लेने के लिए आवेदन करता है तो विज्ञापन ऐसी दरों पर इस शर्त के साथ अनुज्ञात किया जाएगा कि संबंधित समाचार पत्र, इन नियमों में यथा अभिकथित उपबन्धों का अनुसरण करने के लिए लिखित रूप से सहमति प्रदान करता है"।

अतः राजस्थान राज्य से प्रकाशित समाचार पत्र का वर्ष 2019 का डी.ए.वी.पी. दर अनुबन्ध पत्र एवं ए.बी.सी. / आर.एन.आई. / सी.ए. प्रमाण पत्र तत्काल विभाग में भिजवाना सुनिश्चित करे।

इस संबंध में विलम्ब के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

15/1/2019

आयुक्त एवं शासन सचिव
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर